भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1407

उत्तर देने की तारीख 11 फरवरी, 2026

बुधवार, 22 माघ, 1947 (शक)

पीएमकेवीवाई के तहत प्रशिक्षण लक्ष्य

1407. श्रीमती फूलो देवी नेतमः **श्री दिग्विजय सिंहः**

क्या कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पीएमकेवीवाई के विगत तीन चरणों के प्रत्येक चरण के दौरान प्रशिक्षण लक्ष्यों को स्वीकृत करने हेतु प्रयुक्त नौकरी के प्रकार वार मांग संबंधी आंकड़े क्या हैं;

(ख) पीएमकेवीवाई लक्ष्यों के आवंटन से पहले जिला कौशल विकास योजनाएं (डीएसडीपी) प्रस्तुत करने वाले जिलों की वर्ष-वार संख्या कितनी है;

(ग) पीएमकेवीवाई के कितने प्रतिशत लक्ष्य डीएसडीपी के संदर्भ के बिना आवंटित किए गए हैं; और

(घ) राज्य घटक के अंतर्गत पीएमकेवीवाई निधियों के निर्गमन एवं उपयोग में राज्य वार हुए विलंब का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) मांग आधारित योजना है और इसके लाभ समाज के सभी वर्गों के लिए सुलभ हैं। इस योजना का उद्देश्य भारत के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार और उद्योग-प्रासंगिक कौशल से सुसज्जित करना है। पीएमकेवीवाई के तहत प्रशिक्षण लक्ष्यों को मंजूरी देने के लिए बाजार की मांग का आकलन करने हेतु मंत्रालय का बहु-स्तरीय दृष्टिकोण है। इसमें शामिल हैं:

- **एसएससी और उद्योग संबंध:** 36 क्षेत्र कौशल परिषद (एसएससी) संबंधित क्षेत्रों की कौशल विकास आवश्यकताओं की पहचान करते हैं और साथ ही कौशल दक्षता मानकों का निर्धारण करते हैं।
- **कौशल अंतर और जिला कौशल विकास योजना (डीएसडीपी) से प्राप्त जानकारी:** योग्यताएँ क्षेत्रवार एवं भौगोलिक कौशल-अंतर अध्ययनों, उद्योग की मांग तथा जिला कौशल विकास योजनाओं (डीएसडीपी) से प्राप्त सुझावों पर आधारित होती हैं, जो स्थानीय स्तर की आवश्यकताओं को प्रतिबिंबित करती हैं।

- **उद्योग परामर्श:** उद्योग से निरंतर प्राप्त होने वाली प्रतिक्रिया से यह सुनिश्चित होता है कि पाठ्यक्रम वर्तमान बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप अद्यतन बने रहें। साथ ही उद्योगों को अवार्डिंग बॉडी के रूप में कार्य करने और अपने स्वयं के बाजार-प्रासंगिक पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है।
- **उभरते क्षेत्रों पर विशेष ध्यान:** साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आदि जैसे नई पीढ़ी के कौशलों की पहचान को प्राथमिकता दी जाती है। साथ ही, गिग इकॉनॉमी, सर्कुलर इकॉनॉमी, नवीकरणीय ऊर्जा आदि जैसे उभरते क्षेत्रों की कौशल आवश्यकताओं की पहचान पर विशेष ध्यान दिया जाता है। पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत एआई, 5जी, साइबर सुरक्षा, ग्रीन हाइड्रोजन और ड्रोन जैसे क्षेत्रों में 600 से अधिक नई पीढ़ी के पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं।
- **राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप कौशल विकास:** कौशल अंतर अध्ययन, पाठ्यक्रम डिजाइन और मजबूत प्रशिक्षण अवसंरचना के माध्यम से राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और उद्योग की जरूरतों के अनुरूप कौशल विकास पर जोर दिया जाता है।
- **अभिसरण:** राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (एनजीएचएम), पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना, राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन, एआई मिशन और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जैसी योजनाओं और पहलों को समर्थन दिया गया।

पीएमकेवीवाई के अंतिम तीन चरणों के अंतर्गत प्रशिक्षित उम्मीदवारों की कुल संख्या का ब्यौरा निम्नानुसार है:

चरण	कुल प्रशिक्षित
पीएमकेवीवाई 1.0	19,86,016
पीएमकेवीवाई 2.0	1,10,00,708
पीएमकेवीवाई 3.0	7,37,502

(ख) संकल्प योजना के अंतर्गत, ज़िलों में ज़िला कौशल विकास योजनाएँ (डीएसडीपी) तैयार की गईं, जिन्हें बाद में राज्यों के लिए राज्य कौशल विकास योजनाओं (एसएसडीपी) में समेकित किया गया। वर्षवार डीएसडीपी प्रस्तुत करने वाले ज़िलों की संख्या का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वित्त वर्ष	डीएसडीपी योजना प्रस्तुत करने वाले जिलों की संख्या
2018-19	223
2020-21	495
2022-23	698
2023-24	151
2024-25	716

(ग) चूंकि डीएसडीपी पीएमकेवीवाई की आवंटन पद्धति में एकमात्र प्रविष्टि मानदंड नहीं है, इसलिए लक्ष्यों को डीएसडीपी के "संदर्भ सहित" या "संदर्भ के बिना" किसी निश्चित प्रतिशत से नहीं जोड़ा जा सकता ।

(घ) यद्यपि पीएमकेवीवाई 2.0 और पीएमकेवीवाई 3.0 के अंतर्गत धनराशि जारी करने में राज्यवार कोई विलंब नहीं हुआ, फिर भी राज्य घटक का प्रारंभिक क्रियान्वयन, विशेष रूप से वर्ष 2016-17 के दौरान, राज्यों द्वारा प्रस्तावों के सीमित प्रस्तुतीकरण के कारण विलंबित हुआ, जिसके परिणामस्वरूप प्रारंभिक चरण में कार्यान्वयन की गति धीमी रही। राज्य संघटक के अंतर्गत धनराशि जारी करने और उपयोग में बाद में होने वाला विलंब मुख्यतः राज्य कौशल विकास मिशनों (एसएसडीएम) द्वारा परियोजना प्रस्तावों और उपयोगिता प्रमाणपत्रों (यूसी) के विलंबित प्रस्तुतीकरण या प्रस्तुत न किए जाने के कारण हुआ।

*****